कृषि अनुसंधान केन्द्र

श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर

फतेहपुर–शेखावाटी 332 301

जिला : सीकर (राजस्थान)

01571-297445
M. 9461541032
arsfatehpur@rediffmail.com
zdr.fatehpur@sknau.ac.in

क्रमांक :एफ( )/लेखा/कृ.अ.के./एफटीआर/2016/86 दिनांक 10.05.2016

निविदा सूचना

कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर–शेखावाटी के फार्म पर वित्तीय वर्ष 2016–17 में विभिन्न कार्यो (फसल कटाई, ट्रेक्टर ड्राईवर व श्रमिक) हेतु पंजीकृत संस्था/पंजीकृत प्लेसमेंट एजेन्सीयों से श्रमिक सप्लाई हेतु निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। इसके साथ ही खरीफ 2016 की विभिन्न फसलों की बीज उत्पादन, हिस्सा आधारित खेती के लिये लगभग 25–30 हैक्टेयर क्षेत्र में खेती करवाने हेतु अनुभवी कृषकों से निविदायें आमंत्रित की जाती है। ये दोनों निविदायें दिनांक 25.05.2016 को दोपहर 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र 200/– रूपये नगद जमा करवाकर कार्यालय समय में प्रातः 10.00 से सांय 5.00 बजे तक कार्यदिवस में प्राप्त कर सकते हैं। निविदा जमा करवाते समय धरोहर राशि विभिन्न कार्यो के लियें रूपयें 15000/– तथा खरीफ फसलों की हिस्सा आधरित खेती हेतु रूपये 8000/– नगद निविदा के साथ कार्यालय में जमा करवानी होगी। निविदा दिनांक 25.05.2016 को दोपहर बाद 2.00 बजे कमेटी के समक्ष खोली जायेगी। इस निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा। उक्त निविदाओं से सम्बन्धित विस्तृत विवरण **www.sknau.ac.in** व **sppp.rajasthan.gov.in** अथवा कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्षेत्रीय निदेशक (अनु0)

प्रतिलिपि :–

1. श्री निरजंन पारीक, सम्पादक, राजस्थान पत्रिका, फतेहपुर को भेजकर लेख है कि इसे सीकर संस्करण में प्रकाशित करवाने का श्रम करे। श्रीमान् जी उपरोक्त विज्ञापन डी0पी0आर0 की दर पर न्यूनतम साईज में प्रकाशन कर बिल तीन प्रतियों में भुगतान बाबत् भिजवाए।

B.Sharma

क्षेत्रीय निदेशक (अनु0)

कृषि अनुसंधान केन्द्र

श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविघालय, जोबनेर

फतेहपुर–शेखावाटी 332 301

जिला : सीकर (राजस्थान)

वित्तीय वर्ष 2016–17 में विभिन्न कृषि, प्रायोगिक कार्यो, ड्राईवर, श्रमिक सप्लाई एवं हिस्सा आधारित खेती (खरीफ 2016) हेतु निविदाऐं

1.	निविदा की कीमत	200रू प्रति निविदा
2.	निविदा संदर्भ	**निविदा प्रपत्र–अ** विभिन्न कृषि, प्रायोगिक कार्यो, ड्राईवर, श्रमिक सप्लाई आदि। **निविदा प्रपत्र–ब** हिस्सा आधारित खेती (खरीफ 2016)
3.	निविदा प्रपत्र	सलंग्न दो– (निविदा प्रपत्र–अ, निविदा प्रपत्र–ब)
4.	निविदा प्राप्त करने का समय व दिनांक	कार्यालय कार्य दिवस में सुबह10.00 से सांय 5.00 बजे तक
5.	निविदा कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम तिथि	25.05.2016 दोपहर 12.00 बजे तक
6.	निविदा खोलने की तिथि	25.05.2016 दोपहर 02.00 बजे तक
7.	निविदा खोलने का स्थान	कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर–शेखावाटी
8.	पत्र व्यवहार हेतु पता	क्षेत्रीय निदेशक (अनुसंधान) कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर–332301

नोटः– धरोहर राशि/ अमानत राशि निविदा फार्म के साथ नगद/बैंक ड्राफ्ट द्वारा कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में जमा करवायी जा सकती है।

कृषि अनुसंधान केन्द्र

श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविघालय, जोबनेर

फतेहपुर–शेखावाटी 332 301

जिला : सीकर (राजस्थान)

निविदा प्रपत्र –अ

विभिन्न कृषि कार्यो, ड्राईवर व श्रमिक आपूर्ति हेतु।

1. **योजना का नामः** i. शस्य वानिकी परियोजना (7–t(91)AICRP on Agroforestry) ii. कृषि अनुसंधान केन्द्र फार्म के कार्य (Revolving found)
2. **बजट मदः** i. 7–t(91)AICRP on Agroforestry) ii. Revolving found
3. **कार्य की अनुमानित अवधिः** वित्तिय वर्ष 2016–17 (31 मार्च 2017)
4. धरोहर राषि की प्रकृति व राषिः नगद रूपये 15000/–
5. निविदा फार्म की कीमत : रूपये 200/–
6. निविदा खोलने की दिनांक व समय :– 25.05.2016 दोपहरः 2.00 बजे
7. फर्म द्वारा घोषणा कि फर्म काली सूचि में नहीं है।
8. दरें नीचे दर्षायी गई तालिका में देनी है

cont…

i. शस्य वानिकी परियोजना

क्र. स.	कृषि कार्य का विवरण	अनुमानित दर (रूपयों)	ठेकेदार द्वारा दी जाने वाली दर(रूपयों)
1.	शस्य वानिकी परियोजना क्षेत्र में खरीफ फसलों व प्रायोगिक फसलों लेने हेतु खेत की साफ सफाई (सूड़) करना।	1500/–प्रति हैक्टेयर	
2.	ट्रेक्टर चालित टेंकर/पाइप से केन्द्र केम्पस में व शस्य वानिकी क्षेत्र के पेड़–पौधों में पानी लगाने का कार्य	300/– प्रतिदिन	
3.	शस्य वानिकी क्षेत्र में बोई गई प्रायोगिक फसलों की बीजाई का कार्य श्रमिकों द्वारा	5000/– प्रति हैक्टेयर	
4.	शस्य वानिकी फसलों अन्तराषस्य क्रिया (होईग, विडिंग, थिनिंग श्रमिकों द्वारा)	7500/–प्रति हैक्टेयर	
5.	शस्य वानिकी क्षेत्र में बोई गई फसलों की कटाई (मेनुअल) फलीयों की तुडाई	7000/–प्रति हैक्टेयर	
6.	श्रमिकों द्वारा प्रायोगिक फसल की प्लाट वाइज (मेनुअल) व थ्रेसिंग एवं अन्य कार्य जैसे अनाज की तुलाई।	8000/– प्रति हैक्टेयर	
7.	वानिकी क्षेत्र में थॉवला बनाना व पौधे लगाना (1– 1.5 मीटर)	8/– प्रतिपेड़	
8.	फलदार पौधों जैसे बेर व अनार में कीटनाषक व फफूंदनाषी का छिड़काव (2 व 3 वर्ष के पौधो पर)	5/– प्रतिपेड़	
9.	शस्य वानिकी के प्रायोगिक पौधों जैसे नीम, शीशम, हार्डविकिया विनाटा, डी न्यूटन में कटिंग (प्रुनिंग) व इक्कठा करने का कार्य।	15/– प्रतिपेड़	
10.	अन्य कृषि कार्य हेतु। 1. कुषल 2. अर्द्धकुषल 3. अकुषल	राज्य सरकार द्वारा देय दरें 209/– प्रति 8 घंटे 199/– प्रति 8 घंटे 189/– प्रति 8 घंटे	

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर मय
तिथि, पूर्ण पता एवं मोबाइल नम्बर

ii. कृषि अनुसंधान केन्द्र फार्म पर किये जाने वाले कार्यः–

क. स.	कृषि कार्य का विवरण	अनुमानित दर(रूपयों)	ठेकेदार द्वारा दी जाने वाली दर(रूपयों)
1.	ट्रेक्टर ड्राईवर द्वारा फार्म पर जुताई (हैरो, डिस्क हैरा, प्लाउ, कल्टीवेटर)व बुवाई सीड ड्रिल द्वारा व ट्रोली का कार्य	600 / – प्रतिकार्य दिवस	
2.	वाहन चालक जीप / बोलेरो / मिनी बस	600 / – प्रतिकार्य दिवस	
3.	बीज ग्रेडिंग कार्य निम्नानुसार(ग्रेड़िग मशीन फार्म की होगी) 1. बीज गोदाम से निकालना व ग्रेडिंग प्लांट तक ले जाना। 2. ग्रेडिंग कार्य सम्पादित कर ग्रेडेड बीज की आवष्यकतानुसार पैकिंग (5, 10 व40 kg) व बेगिंग 3. लेबलिंग कार्य (फसलें ग्वार, मूँग, चॉवला, मोठ व तारामीरा, गेहूँ, जौ, मैथी व अन्य फसल)	40 / – प्रतिक्विंटल	
4.	ड्राईवर द्वारा विभिन्न कृषि कार्य(ट्रेक्टर फार्म का होगा) निम्नानुसार 1. जुताई (हैरो द्वारा) 2. डिस्क, प्लाउ 3. बीजाई (सीड ड्रिल द्वारा खरीफ व रबी फसलों)	 200 / –प्रति हैक्टेयर 400 / –प्रति हैक्टेयर 230 / –प्रति हैक्टेयर	
5.	फसलों की सिचाई फव्वारा द्वारा	1000 / –प्रति हैक्टेयर	
6.	खरीफ फसलों में अन्तराषष्य क्रियायें रबी फसलों में अन्तराषष्य क्रियायें	7500 / –प्रति हैक्टेयर 7500 / –प्रति हैक्टेयर	
7.	फसल कटाई कार्य एवं इक्टठा करने की निम्नलिखित दरें। 1. मूंग, मोठ व चॅवला 2. ग्वार 3. गेहूँ व जौ 4. मैथी 5. तारामीरा व सरसों	 6500 / –प्रति हैक्टेयर 8000 / – प्रति हैक्टेयर 9500 / – प्रति हैक्टेयर 8000 / – प्रति हैक्टेयर 7500 / – प्रति हैक्टेयर	

8.	**थ्रेसिंग कार्य** (मषीन व मजदूर स्वंय ठेकेदार का होगा तथा अनाज को बोरियों में भरना होगा) 1. मूँग, मोठ व चवंला 2. ग्वार 3. जौ, गेहूँ 4. मैथी 5. सरसों व तारामीरा	140 / — प्रतिक्विंटल 150 / — प्रतिक्विंटल 65 / — प्रतिक्विंटल 140 / — प्रतिक्विंटल 100 / — प्रतिक्विंटल	
9.	अन्य कृषि कार्य हेतु। 3. कुषल 4. अर्द्धकुषल 3. अकुषल	राज्य सरकार द्वारा देय दरें 209 / — प्रति 8 घंटे 199 / — प्रति 8 घंटे 189 / — प्रति 8 घंटे	

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर मय
तिथि, पूर्ण पता एवं मोबाइल नम्बर

निविदा की शर्ते :–

1. प्रस्तावित निविदा फार्म मुहरबन्द में क्षेत्रीय निदेषक, कृषि अनुसंधान केन्द्र फतेहपुर शेखावाटी को लिफाफे के उपर निविदा '' कार्य अनुबन्ध '' लिखकर प्रस्तुत करना होगा। निविदा फार्म निविदा की दरों में किसी भी प्रकार की काट–छॉट स्वीकृत नही की जावेगी।
2. निविदादाता (ठेकेदार) निविदा फार्म प्रस्तुत करने से पूर्व समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें एवं समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर करने के पष्चात ही निविदा फार्म प्रस्तुत करें। निविदा के साथ ही धरोहर राषि रू0 15,000/– जमा करानी होगी। बिना धरोहर राषि के निविदा स्वीकार नही की जायेगी।
3. निविदादाता के पास 50 श्रमिक आपूर्ति का लाईसेंस होना आवष्यक है जो निविदा फार्म के साथ प्रस्तुत करना होगा, बिना लाईसेंस के निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
4. निविदादाता को प्रत्येक माह की 7 तारीक तक श्रमिकों का भुगतान करना होगा चाहे बिलों का भुगतान प्राप्त किया हो या नहीं। ठेके के अधीन कार्यरत श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा देय न्यूनतम दरों (वेतन) से कम भुगतान नहीं करना होगा।
5. अनुबन्ध की अवधि आदेष की तारीख से 31.03.2017 तक के लिए मान्य होगी।
6. किसी भी नाबालिक (18 वर्ष से कम आयु) व 55 साल से ज्यादा आयु एवं कार्य करने में असक्षम व्यक्ति को कार्य पर नही लगाया जायेगा।
7. निविदादाता द्वारा नियोजित व्यक्ति श्रमिक द्वारा संस्था को किसी भी प्रकार की हानि पहुॅचाने का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वंय ठेकेदार का होगा एवं नुकसान की वसूली करने का पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय निदेषक, कृषि अनुसंधान केन्द्र फतेहपुर शेखावाटी को होगा।
8. निविदादाता द्वारा लगायें गयें श्रमिकों को सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के दिषानिर्देषों के अनुसार कार्य सम्पादित करना होगा। श्रमिकों का व्यवहार एवं कार्य असंतोषजनक पायें जाने पर तुरंत प्रभाव से हटाना होगा।
9. निविदादाता को अपना आई.डी. प्रूफ व मोबाईल नम्बर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
10. विभिन्न कार्यो को उनकी प्राथमिकता के अनुसार विभागाध्यक्ष/फार्म इन्चार्ज/फार्म मैनेजर, शस्य वैज्ञानिक या क्षेत्रीय निदेषक द्वारा मनोनीत व्यक्ति तय करेंगे और उसी आधार पर ठेकेदार द्वारा श्रमिक उपलब्ध करा कर कार्य का निष्पादन कराया जायेगा। ठेकेदार को रात्रि में फसलों की सिंचाई व अन्य कार्य जैसे चौकीदारी आदि केवल पुरूष श्रमिकों से ही करवाना होगा।
11. विवरणिका के अनुसार कृषि कार्य कृषि अनुसंधान केन्द्र के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की देखरेख में होगा। सिंचाई हेतु जल आपूर्ति ठेकेदार को फार्म से दिया जायेगा।
12. निविदादाता या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति को कार्यालय समय में कृषि अनुसंधान केन्द्र में उपस्थित रहना होगा। कृषि अनुसंधान केन्द्र में प्रतिदिन चाहने वाले श्रमिकों की संख्या व दिनांक कृषि अनुसंधान केन्द्र के सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा फार्म पर उपलब्ध रजिस्टर में दर्ज कार्य अनुसार निविदादाता या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति श्रमिक उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होने व रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर व दिनांक अंकित करने होगें।
13. भुगतान केवल किये गये कार्य का ही किया जायेगा तथा किसी भी कार्य के लिए कोई अग्रिम राषि नहीं दी जायेगी। कार्य की आवष्यकता को मध्यनजर रखते हुए कार्य की समय अवधि घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
14. यदि निविदादाता (ठेकेदार) द्वारा समय पर श्रमिक उपलब्ध नहीं करायें गये तो कार्य की आवष्यकता को देखते हुए सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी उस कार्य को अपने स्तर पर ठेकेदार की दर से दो गुणा तक श्रमिक लगा कर पूर्ण करा लेंगें जिसका भुगतान निविदादाता द्वारा जमा अमानत राषि में से किया जायेगा तथा उतनी ही राषि कृषि अनुसंधान केन्द्र उसकी अमानत में से पैनल्टी के रूप में काटेगा। समय पर कार्य सम्पादन न कराने, श्रमिक उपलब्ध न कराने व निविदा शर्तो को न मानने पर ठेकेदार को भविष्य के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया जायेगा।

15. यदि निविदादाता अपना कार्य निष्चित अवधि के बीच में छोडता है तो उसके द्वारा जमा अमानत राषि को जब्त कर लिया जायेगा।
16. निविदादाता को यथासंभव पूर्व में ही कार्य हेतु दिन व समय बता दिया जायेगा, फिर भी दिन व समय प्रकृति पर निर्भर करेगा जिसके लिए निविदादाता को तुरंत श्रमिकों की व्यवस्था करनी होगी। निविदादाता द्वारा समय पर कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में जों भी हानि होगी वह निविदादाता को वहन करनी होगी। निविदादाता यदि कृषि, प्रायोगिक कार्य, चौकीदार आदि कार्यो की महत्ता एवं गुणवत्तानुसार कार्य करने में असमर्थ रहता है या कार्य अधुरा छोड़ता है तो कृषि अनुसंधान केन्द्र उन शेष कार्यो को अपनी जिम्मेदारी से पूर्ण करायेंगें जिसका भुगतान द्वारा जमा अमानत राषि पुनः सात दिनों के अन्दर जमा करानी होगी। इस प्रकार की प्रवृत्ति की यदि 3 बार पुनरावृत्ति होती है तो कृषि अनुसंधान केन्द्र को निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा एवं निविदादाता की अमानत राषि भी जब्त कर ली जायेगी।
17. इस कार्य की अनुमानित लागत 3.00 लाख रूपये है। अतः सफल निविदादाता को अमानत राषि के रूप में 5 प्रतिषत अर्थात रू. 15,000/– (अक्षर पन्द्रह हजार रूपये) तुरंत जमा कराने होंगें जिसमें उसकी पूर्व में जमा धरोहर राषि समायोजित कर ली जायेगी।राषि पर किसी तरह का ब्याज दय नही होगा।
18. किसी भी प्रकार के कार्य एवं अन्य विवाद की स्थिति में सात दिन के नोटिस पर ठेकेदार का अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है तथा ऐसी स्थिति में उसकी समस्त अमानत राषि जब्त करने व अन्य निविदाओं में से जिसकी दर न्यूनतम होगी उसे ठेका देने का अधिकार क्षेत्रीय निदेषक कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर शेखावाटी को होगा।
19. ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों को ई.एस.आई. एण्ड पी.एफ. वर्कमैन काम्पनसेषन एक्ट प्रावधान एवं अन्य टैक्स आदि देय होने पर समस्त उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा। ई.एस.आई. एण्ड पी.एफ. निरीक्षक द्वारा समय समय पर जांचे गये रिकार्ड को अवलोकन करने हेतु प्रस्तुत करना होगा।
20. आयकर कटौती मान्य दरों से क्षेत्रीय निदेषक कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर शेखवाटी द्वारा ठेकेदार के बिलों से की जायेगी।
21. आकस्मिक दुर्घटना की दषा में अथवा लापरवाही द्वारा कार्य करने की स्थिति में सभी जिम्मेदारियॉ निविदादाता एवं श्रमिक की होगी। कृषि अनुसंधान केन्द्र इसके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
22. अनुसंधान केन्द्र द्वारा निर्धारित दर (जो निविदा फार्मो में दर्षाई गई है) से कम प्रस्तुत की दरों को स्वीकार नहीं किया जावेंगा।
23. सफल निविदादाता को उपरोक्त सभी शर्तो की पूर्ण पालना करने संबंधी एक अनुबन्ध पत्र 100/–रू का नॉन–ज्यूडिषियल स्टाम्प पेपर ठेकेदार द्वारा भरना अनिवार्य होगा।
24. मैनेजर श्रमिकों से फार्म का कोई भी कार्य करवा सकता है।
25. ड्राईवर के पास वाहन चलाने का लाइसेंस होना अनिवार्य है।
26. निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकारी क्षेत्रीय निदेषक कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर शेखावाटी को होगा।

उक्त निविदा की षर्तो को मैनें भली भॉति पढ लिया है और समझ लिया है, मैं इनसे सहमत हूॅ और इनका पालन करूॅगा।

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर मय
तिथि, पूर्ण पता एवं मोबाइल नम्बर

कृषि अनुसंधान केन्द्र
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर (राज0)

निविदा प्रपत्र–ब

हिस्सा आधारित खेती :–

1.	**योजना का नामः** बीज उत्पादन खरीफ फसले – 2016 हिस्सा आधारित खेती
2.	**बजट मदः** रिवोल्विग फंड, खरीफ 2016
3.	**कार्य की अनुमानित अवधिः** 6 माह (एक सीजन)
4.	धरोहर राषि की प्रकृति व राषिः नगद रूपये 8000/– निविदा फार्म की कीमत : रूपये 200/–
5.	**निविदा खोलने की दिनांक व समय** :– 25.05.2016 दोपहरः 2.00 बजे
6.	**निविदादाता** : कोन्ट्रेक्टर द्वारा किये जाने वाले कार्य व शर्तो का विवरण :

क्र0सं	विवरण व फसल	उत्पादन में ठेकेदार द्वारा दर्षाया जाने वाला हिस्सा(प्रतिषत)
1.	ग्वार	
2.	मूंग	
3.	मौठ	
4.	चॅवला	
5.	अन्य फसल	

नोटः (ठेकेदार को थ्रेसिंग कार्य स्वयं को करना होगा। तथा चारा भी ठेकेदार का होगा। ऐसी स्थिति को मघ्यनजर रखते हुए अपना हिस्सा दर्षायें।)

निविदा की शर्ते :–

1.	ट्रेक्टर संबन्धित कार्य डिस्क प्लाउ, हेरों, कल्टीवेटर द्वारा भूमि तैयारी कार्य, सीड ड्रिल द्वारा बुवाई, उर्वरक ड्रिलिंग कार्य आदि की व्यवस्था केन्द्र द्वारा ही की जावेगी एवं इस प्रक्रिया में लगने वाले श्रमिक व्यय निविदादाता को ही वहन करने होगे।
2.	बीज उपचार एवं फसल वृद्दि के दौरान लगने वाले खाद, उर्वरक, फॅफूदनाषक का छिडकाव निविदादाता को करना होगा। बीज, कीटनाषक ,कल्चर एवं छिडकाव की मषीन की व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जायेगी।
3.	बुवाई से फसल थ्रेसिग व उत्पादन को तोलकर स्टोर में रखवाने तक की प्रक्रिया का श्रमिक व्यय निविदादाता को ही वहन करना होगा।
4.	विभिन्न शस्य क्रियाये फार्म प्रबन्धक के निर्देषानुसार करनी होगी तथा सम्पूर्ण श्रमिक व्यय निविदादाता को ही वहन करने होगें व फसलों को खरपतवार मुक्त रखना होगा।
5.	बीज उत्पादित खरीफ फसल 2016 हिस्सा आधारित खेती से बंटवारे के बाद कृषि उपज मंडी के 7 दिन के औसत भाव की दर पर 10 प्रतिषत अधिक कोन्ट्रेक्टर को उसके हिस्से के उत्पादन का भुगतान कर दिया जावेगा अथवा निविदानुसार बीज हिस्सा अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा कोन्ट्रक्टर को दिया जायेगा। उत्पादित बीज को रखने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
6.	निराई गुडाई, फसल कटाई, थ्रेसिग आदि कार्य व थ्रेसिग उपरान्त इक्कठा करना, ढेर लगाना आदि कार्य मौसम की स्थिति अनुसार निविदादाता को फार्म प्रबन्धक की आज्ञानुसार करने होगे, व कटी हुई फसल के ढेर को वर्षा होने पर तिरपालों से ढकना होगा। निराई गुड़ाई तथा कटाई में उपयोग होने वाले औजार ठेकेदार के होंगे।
7.	कोन्ट्रेक्ट खत्म होने/फसल पकने पर फार्म से लिया गया फब्बारा सेट व अन्य कृषि उपकरण स्टोर में जमा करवाने होगे।
8.	फसल थ्रेसिग उपरान्त उत्पाद को खलिहान से गोदाम तक लाने हेतु ट्रेक्टर ट्राली केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। थ्रेसिंग मषीन की व्यवस्था कोन्ट्रेक्टर द्वारा स्वयं को करनी होगी।तथा थ्रेसिंग का भुगतान भी ठेकेदार को करना होगा।। तथा चारे के ले जाने का अधिकार ठेकेदार का होगा।
9.	थ्रसिंग मषीन की व्यवस्था फार्म प्रभारी /फार्म मैंनेजर के निर्देषानुसार करनी होगी। थ्रेसिंग के समय क्षति कम से कम हो । अगर थ्रेसिंग के समय क्षति अधिक होगी तो फार्म मैंनेजर द्वारा थ्रेसिंग के कार्य को रोका जा सकता है।
10.	फसल में रोगिंग उपवांछन कार्य फार्म प्रभारी/प्रबन्धक की आज्ञानुसार निविदादाता को ही करना होगा।
11.	पम्प व टयूब वैल मोटर ओपरेषन कार्य इनकी देखरेख व रखरखाव पाईप रिसाव आदि कार्य निविदादाता को ही करना होगा। इसका विधुत बिल भुगतान केन्द्र द्वारा किया जायेगा।
12.	प्रस्तावित निविदा पत्र क्षेत्रीय निदेषक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर को मय निविदा के विवरण लिफाफे के उपर लिख कर प्रस्तुत करनी होगी।
13.	दर शब्दों व अंकों में लिखे। किसी भी प्रकार की कांट छांट अथवा फिर से ठीक किया हुआ स्वीकृत नही होगा।
14.	दर देने से पूर्व समस्त शर्तो को ध्यान पूर्वक अध्ययन करें एवं समस्त पृष्ठों पर अपने हस्ताक्षर करने के पश्चात ही निविदा प्रस्तुत करे एवं निविदा की दर स्याही से लिखे।
15.	ठेकेदार अथवा उसके द्वारा नियोजित व्यक्ति द्वारा संस्था में किसी भी प्रकार की हानि पहुँचाने का पूर्ण उतरदायित्व स्वंय ठेकेदार का होगा। किसी भी शर्त को कम करके या नई शर्ते बढ़ाने का पूर्व अधिकार क्षेत्रीय निदेषक अनु0 को होगा। जिसकी लिखित सूचना निविदादाता को दे दी जायेगी।
16.	विवरणीका के अनुसार कृषि कार्य फार्म प्रबन्धक की देखरेख में ही होगा।
17.	सिंचाई हेतु जल आपूर्ति ठेकेदार को फसल में बताए समयानुसार करनी होगी एवं आवष्यक हुआ तो रात्रि में भी करनी होगी। कार्य की आवष्यकता को मध्य नजर रखते हुए फार्म प्रभारी/प्रबन्धक की आज्ञा से कार्य की समयावधि धटाई बढाई जा सकती है।

18	किसी भी प्रकार के कार्य संबंधि विवाद की स्थिति में फार्म प्रभारी/प्रबन्धक को निर्णय का पूरा पूरा अधिकार होगा जो ठेकेदार को मान्य होगा।
19	किसी भी शर्त का पूर्णतया पालन न होने पर निविदा किसी भी समय समाप्त की जा सकती है, ऐसी स्थिति में धरोहर राषि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय निदेषक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर–श्षेखावाटी, सीकर को होगा व दूसरी न्यूनतम निविदा को अनुमोदित करने का अधिकार होगा।
20	किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय निदेषक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर–षेखावाटी को होगा।
21	बीज उत्पादित फसलों में आवारा पशुओं द्वारा नुकसान न हो इस हेतु निगरानी दिन व रात में करनी होगी। अनुमानित हिस्सेदारी से कम हिस्सेदारी पाये जाने पर ठेकेदार की निविदा निरस्त की जा सकती है।

मुझे निविदा की उपरोक्त समस्त शर्ते मंजूर है तथा में उपरोक्त शर्तो पर कार्य करने हेतु सहमत हूॅ। कोन्ट्रेक्टर के हस्ताक्षर मय दिनांक नाम :– पताः– मो0 न0ः–	क्षेत्रीय निदेषक अनुसंधान, के हस्ताक्षर मय सील	कमेटी सदस्य मय हस्ताक्षर 1. 2. 3. 4. 5. 6.